परिशिष्ट "अ"

[15/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1828]

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 12967 / 22 / वि.–7 / पीएमएवाय–जी / 2017 भोपाल, दिनांक 25 / 10 / 2017

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय:– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।
संदर्भ:– विकास आयुक्त का पत्र क. 14631 / 22 / वि–7 / पीएमएवाय–जी / 16 दि. 6.12.2016

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्र की कंडिका–5 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण के लिए 3 किस्तों में भुगतान करने तथा कंडिका–6 में नरेगा मजदूरी एवं शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि के भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।

2. उपरोक्त संदर्भित पत्र की कंडिका–5 एवं 6 में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:–

(1) आवास निर्माण के लिए राशि रू. राशि रू. 1,20,000 /– का भुगतान 4 किश्तों में निम्नानुसार किया जाए:–
  i. प्रथम किश्त – आवास की स्वीकृति पर रू. 40,000 /–
  ii. द्वितीय किश्त – प्लिंथ स्तर तक निर्माण होने व उसका आवास साफ्ट पर फोटो अपलोड होने पर रू. 40,000 /–
  iii. तृतीय किश्त – लिंटल लेवल (दरवाजा स्तर) तक निर्माण होने व उसका आवास साफ्ट पर फोटो अपलोड होने पर रू. 25,000 /–
  iv. आवास पूर्ण होकर आवास साफ्ट पर फोटो अपलोड होने पर रू. 15,000 /–

(2) नरेगा के तहत मजदूरी भुगतान आवास निर्माण के प्रारंभ होने से लेकर आवास पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय श्रमिकों का नियोजन कर किया जा सकता है।

(3) शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि स्वच्छ भारत अभियान के तहत देय होने की दशा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्धारित किश्तों में दी जाए।

(4) शौचालय निर्माण नरेगा से किए जाने की दशा में सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान आवास निर्माण के प्रारंभ होने से आवास निर्माण पूर्ण होने के पूर्व किया जा सकता है।

25.10.17

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त

पृ. क्रमांक 12968 / 22 / वि.–7 / पीएमएवाय–जी / 2017 भोपाल, दिनांक 25 / 10 / 2017

प्रतिलिपि:–

समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विकास आयुक्त

संयुक्त आयुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
विकास आयुक्त कार्यालय,
भोपाल

परिशिष्ट-ब

विधानसभा प्रश्न क्र. 1828 (अतारांकित) (ग)

(वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक)

क्र	जनपद पंचायत	कितने हितग्राहियों ने किश्त की कितनी राशि का दुरूपयोग किया		कितने हितग्राहियों की मृत्यु हो गई
		हितग्राही संख्या	राशि	
1	जबलपुर	269	75.65	9
2	कुण्डम	133	33.25	29
3	मझौली	258	176.1	24
4	पनागर	238	161.1	6
5	पाटन	0	0	0
6	शहपुरा	297	105.75	11
7	सिहोरा	129	72.65	17
योग		1324	624.5	96

1324 हितग्राहियों के विरूद्ध नोटिस जारी किये गये एवं वसूली हेतु RRC प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु सूची तहसील न्यायालय को प्रेषित की गई।

संयुक्त आयुक्त
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण
विकास आयुक्त कार्यालय,
भोपाल